ई. मेल :- dforudraprayag @gmail.com
फोन / फैक्स नं0 :- +91-8126660575::
पता -: माई की मढ़ी निकट जवाडी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक- 2841 / 12-1(21) दिनांक 22/02/2023::

सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0,
रुद्रप्रयाग।

23-2-23
268

विषय :- **जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत ममणी-उरोली मोटर के निर्माण हेतु 2.10 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु (पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण लो0नि0वि0 रुद्रप्रयाग) ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में। PROPOSAL NO.-FP/UK/ROAD/11055/2015**

सन्दर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय नई दिल्ली की पत्र संख्या-5-3/2011-FC (Vol-I) दिनांक 22.03.2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या-8बी0/यू0पी0सी0/06/17/2017/एफ0सी0/1476 दिनांक 01.12.2017 के द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या आप द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-97 दिनांक 01.02.2023 के द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि विषयांकित प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुये 05 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है किन्तु आतिथि तक विधिवत् स्वीकृति हेतु अपेक्षित है तथा प्रकरण में एन0पी0वी0 की धनराशि पुरानी दरों पर जमा की गई है। भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र से जारी दिशा-निर्देश के अनुसार ऐसे वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण जिनमें 06 जनवरी 2022 से पूर्व सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है तथा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्ति से पांच वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी विधिवत् स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है में एन0पी0वी0 की नई दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया जाना है। **(प्रति संलग्न है)**

भारत सरकार के उक्त पत्र से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में एन0पी0वी0 की नई दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का आंकलन निम्न प्रकार है-

1.	ईको-क्लास श्रेणी	=	V[th]
2.	हरियाली का घनत्व (प्रतिशत)	=	0.1 (10%)
3.	एन0पी0वी0 की दर (प्रति है0)	=	10,05,210.00
4.	आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल (है0)	=	2.100
5.	कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि (रुपये)	=	21,10,941.00
6.	पूर्व में जमा की गई एन0पी0वी0 धनराशि (रुपये)	=	- 13,79,700.00
7.	**वर्तमान में देय एन0पी0वी0 की धनराशि (रुपये)**	=	**7,31,241.00**

(21,10,941.00-13,79,700.00) सात लाख, इकत्तीस हजार, दो सौ इक्तालीस मात्र की धनराशि कैम्पा कोष में जमा की जानी है।

अतः उक्त धनराशि जमा करने हेतु डिमांड नोट प्रेषित है। आंकलित धनराशि उच्च स्तर से सत्यापित होने के पश्चात् ही कैम्पा कोष में जमा कर प्रकरण में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखितत शर्तों की संशोधित अनुपालन आख्या बिन्दुवार/कॉलमवार मय संलग्नक शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करें, ताकि प्रकरण का निस्तारण किया जा सके।

JE(T)

E.E.

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

संख्या- /दिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून
2. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड, पौड़ी।

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

ई. मेल :- dforudraprayag@gmail.com
फोन / फैक्स नं0 :- +91-8126660575::
पता :- माई की मढ़ी निकट जवाड़ी बाईपास रुद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

पत्रांक– 2841 / 12-K(2) दिनांक 22/02/2023::

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0,
रुद्रप्रयाग।

23-2-23
268

विषय :– जनपद–रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत ममणी–उरोली मोटर के निर्माण हेतु 2.10 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु (पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण लो0नि0वि0 रुद्रप्रयाग) ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में। PROPOSAL NO.-FP/UK/ROAD/11055/2015

सन्दर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय नई दिल्ली की पत्र संख्या–5–3/2011-FC (Vol-I) दिनांक 22.03.2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या–8बी0/यू0पी0सी0/06/17/2017/एफ0सी0/1476 दिनांक 01.12.2017 के द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या आप द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक–97 दिनांक 01.02.2023 के द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि विषयांकित प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुये 05 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है किन्तु आतिथि तक विधिवत् स्वीकृति हेतु अपेक्षित है तथा प्रकरण में एन0पी0वी0 की धनराशि पुरानी दरों पर जमा की गई है। भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र से जारी दिशा–निर्देश के अनुसार ऐसे वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण जिनमें 06 जनवरी 2022 से पूर्व सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है तथा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्ति से पांच वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी विधिवत् स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है में एन0पी0वी0 की नई दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया जाना है। **(प्रति संलग्न है)**

भारत सरकार के उक्त पत्र से जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में एन0पी0वी0 की नई दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का आंकलन निम्न प्रकार है–

1.	ईको–क्लास श्रेणी	=	V^{th}
2.	हरियाली का घनत्व (प्रतिशत)	=	0.1 (10%)
3.	एन0पी0वी0 की दर (प्रति है0)	=	10,05,210.00
4.	आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल (है0)	=	2.100
5.	कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि (रुपये)	=	21,10,941.00
6.	पूर्व में जमा की गई एन0पी0वी0 धनराशि (रुपये)	=	– 13,79,700.00
7.	**वर्तमान में देय एन0पी0वी0 की धनराशि (रुपये)**	=	**7,31,241.00**

(21,10,941.00–13,79,700.00) सात लाख, इकत्तीस हजार, दो सौ इक्तालीस मात्र की धनराशि कैम्पा कोष में जमा की जानी है।

अतः उक्त धनराशि जमा करने हेतु डिमांड नोट प्रेषित है। आंकलित धनराशि उच्च स्तर से सत्यापित होने के पश्चात् ही कैम्पा कोष में जमा कर प्रकरण में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखितत शर्तों की संशोधित अनुपालन आख्या बिन्दुवार/कॉलमवार मय संलग्नक शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करें, ताकि प्रकरण का निस्तारण किया जा सके।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

E(T)
23/02/23
E.E.

भवदीय

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

संख्या– /दिनांकित।
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड, पौड़ी।

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।